

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

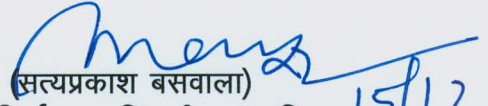
क्रमांक: एफ.7(1)(3)पंचा/रानिआ/2014-15/9434

जयपुर, दिनांक: 15/12/14

:: आदेश ::

राजस्थान पंचायती राज. (निर्वाचन) नियम, 1994 नियम 38 में प्रावधान है कि, प्रत्येक मतदाता की बांयी तर्जनी (**forefinger**) अमिट स्याही से चिह्नित की जाएगी। चूंकि पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के समय मतदाता के बांयें हाथ की तर्जनी (**left hand forefinger**) पर लगाये जाने वाला अमिट स्याही का निशान ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचों व सरपंचों के चुनाव के समय तक दृष्टव्य (**visible**) रहेगा। अतः राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 91-क (कठिनाइयों का निराकरण) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्दिष्ट करता है कि, वार्ड पंच व सरपंच चुनावों में अमिट स्याही का निशान मतदाता की दांये हाथ की तर्जनी (**right hand forefinger**) पर अंकित किया जाएगा।

यदि पुनर्मतदान (**repoll**) होता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन में अमिट स्याही का निशान मतदाता के बांये हाथ की मध्यमा (**left hand middle-finger**) पर अंकित किया जाएगा तथा वार्ड पंच व सरपंच चुनावों में अमिट स्याही का निशान मतदाता के दांये हाथ की मध्यमा (**right hand middle-finger**) पर अंकित किया जावेगा।


(सत्यप्रकाश बसवाला)

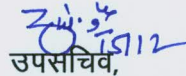
मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

क्रमांक: एफ.7(1)(1)पंचा/रानिआ/2014-15/9435-39

जयपुर, दिनांक: 15/12/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर पंचायत), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, जिला परिषद/पंचायत समिति सदस्य मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-मेल करने हेतु।
5. कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग को आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


उपसचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग